सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075
दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200

भाराराप्रा / नीति दिशानिर्देश / परामर्श कार्य /2026
नीति परिपत्र सं. 10.2.55 /2026 दिनांक 11th नवंबर, 2026
{(ई-ऑफिस फाइल स. HOUDIV-13/5/2024-HOU Division (कम्प्युटर सं. 269722 पर लिया गया निर्णय)}

NHAI/Policy Guidelines/ Consultancy /2026
Policy Circular No. 10.2.55/ 2026 dated 11th November, 2026
{(Decision taken on E-Office File No. HOUDIV-13/5/2024-HOU Division (Comp No. 269722)}

विषय: जोखिम एवं लागत उपायों के कार्यान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)- एसओपी में संशोधन के संबंध में।

Sub: Standard Operating Procedure (SOP) for implementation of Risk & Cost Measures- Amendment to SOP-reg:-

भाराराप्रा नीति परिपत्र संख्या 10.2.37/2024 दिनांक 08.07.2024 के माध्यम से जारी जोखिम एवं लागत उपायों के कार्यान्वयन हेतु एसओपी में निम्नलिखित संशोधन जारी किया जाता है:

The following modification is issued in the SOP for implementation of Risk & Cost Measures issued vide NHAI Policy Circular No. 10.2.37/2024 dated 08.07.2024:

क्र.सं.	मौजूदा खंड	संशोधित खंड
1.	5(ख) जब भी आवश्यकता होगी, चूककर्ता संविदाकार/ कंसेसनेयर (यदि वह भी पैनल में शामिल है) को छोड़कर उपरोक्त पैनलबद्ध एजेंसियों से सूचना के माध्यम से कोटेशन आमंत्रित किए जाएंगे। कोटेशन प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियाँ 22 (बाईस) दिनों के भीतर पूरी की जाएँगी, जिसका तात्पर्य कोटेशन जमा करने के लिए 15 दिन, वित्तीय कोटेशन खोलना और अगले 07 (सात) दिनों के समय में चयनित एजेंसी को ठेका पत्र (एलओए) जारी करना है। कोटेशन से लेकर एलओए तक की संपूर्ण प्रक्रिया 22 (बाईस) दिनों से अधिक नहीं होगी।	5(ख) जब भी आवश्यकता होगी, चूककर्ता संविदाकार/ कंसेसनेयर (यदि वह भी पैनल में शामिल है) को छोड़कर उपरोक्त पैनलबद्ध एजेंसियों से सूचना के माध्यम से कोटेशन आमंत्रित किए जाएंगे। कोटेशन प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियाँ 22 (बाईस) दिनों के भीतर पूरी की जाएँगी, जिसका तात्पर्य कोटेशन जमा करने के लिए 15 दिन, वित्तीय कोटेशन खोलना और अगले 07 (सात) दिनों के समय में चयनित एजेंसी को ठेका पत्र (एलओए) जारी करना है। कोटेशन से लेकर एलओए तक की संपूर्ण प्रक्रिया 22 (बाईस) दिनों से अधिक नहीं होगी। **हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में संबंधित सदस्य के अनुमोदन द्वारा इसके लिए औचित्य को विधिवत दर्ज करते हुए सूचना की अवधि को 7 दिनों तक कम किया जा सकता है।**

Contd.....2/-

S No.	Existing Clause	Modified Clause
1.	5(b) As and when required, quotations from the above empanelled agencies excluding the defaulting Contractor/ Concessionaire (if also empanelled) will be invited through Notice. The activities related to quotation process will be completed within 22 (twenty two) days which implies 15 days for submission of quotations, opening of financial quotation and issuing Letter of Award (LOA) to the selected agency within next 07 (seven) days' time. The entire process from quotation to LOA shall not exceed 22 (twenty two) days.	5(b) As and when required, quotations from the above empanelled Agencies excluding the defaulting Contractor/ Concessionaire (if also empanelled) will be invited through Notice. The activities related to quotation process will be completed within 22 (twenty-two) days which implies 15 days for submission of quotations, opening of Financial quotation and issuing Letter of Award (LOA) to the selected Agency within next 07 (seven) days' time. The entire process from quotation to LOA shall not exceed 22 (twenty two) days. **However, in case of exceptional circumstances, the Notice period can be reduced to 7 days with the approval Member concerned duly recording the justification for the same.**

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

11/11/2020

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library site.

2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation.

3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.